

[श्री रार्नासह अग्रवाल]

चमाती हुई बिजली दिखाई पड़ती है वह बिजली अगर गांवों को दी जाती और खेती में उस का उपयोग होता तो मैं समझता हूँ कि उसका अधिक लाभ देश को मिलता । जो हमारे देश का पैसा आज बरबाद जा रहा है, जनता का पैसा बरबाद जा रहा है इस प्रकार से, वह बड़ा भारी अत्याचार देश पर किया जा रहा है । इसलिए मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जो खेती की जमीन की समस्या है उसका हल किया जाय ।

16.57 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER In the Chair]

दूसरी ओर हमारे भारतवर्ष में बेकारी की समस्या फैल रही है । उसका परिणाम यहां की आमदनी पर पड़ रहा है । इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हैं उनको ऐसा आदेश दिया जाय कि जो मैट्रीकुलेट हैं और वह खेती करना चाहते हैं तो उनको उस के लिए जमीन दी जायगी और उनके लिए और सारी सुविधायें दी जायेंगी । इस प्रकार का प्राविजन और किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कुछ बेकारी की समस्या हल हो सकती है ।

जहां तक खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारण की बात है जैसा कि शारदानन्द जी ने कहा था गन्ना उत्पादन जो किया जाता है उसका किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता जबकि मिल मालिकों को ज्यादा मूल्य मिलता है । तो मेरा यह कहना है कि जो मिल मालिक का खर्च है, मान लीजिये 5 रुपये का एक किलो सुगर बिकता है और डेढ़ रुपये उसके बनाने पर खर्च आता है तो साढ़े तीन रुपये जो बचता है सीधा यह किसान के पास जाना चाहिए । अगर मान लीजिए जो बीच के आदमी रहते हैं उनके लिए आठ आने मान लीजिये तो भी कम से कम 3 रुपये सीधे किसान के पास पहुंचने चाहिये । इस प्रकार से मूल्य का निर्धारण होना चाहिये

जिससे कि सही तरीके से हमारे किसान को उस की उपज का फायदा मिल सके ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि भूमिहीन हरिजन आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है कि जिन हरिजन आदिवासियों को जमीन दी गई है वह कहने मात्र को दी गई है और जिनकी वह जमीनें हैं चाहे वह मालगुजार हों चाहे जमींदार हो उनका गांव में दब दबा रहता है । इस कारण से वह जमीन जोत नहीं पाते हैं, उन के खेत छिन लिए जाते हैं, उन के पशुओं को मारा पीटा जाता है । उनके पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है । इस प्रकार से जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सुरक्षा होनी चाहिए । मेरा कहना यह है कि जो सहकारी खेती होती है, वह वास्तव में सफल खेती नहीं है । इस की जगह यदि कलैक्टिव फार्मिंग की जाय, तो ज्यादा सुन्दर है ।

17 hrs.

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूँ कि यह बहस कल चलेगी या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Speaker has announced that tomorrow the Minister has to reply. Beyond that I cannot give any information.

एक माननीय सदस्य : यहां पर तमाशा यह चलता है कि जो भलमनसाहत से काम करता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है जो उदण्डता बरतते हैं, उनको मौका दिया जाता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may get in touch with the Minister of Parliamentary Affairs for further information.

DISCUSSION RE LAW AND ORDER
SITUATION IN DELHI

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion under Rule 193. Under the rule I have to conclude the discussion in one hour.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : You can extend it by 15 minutes. I will take only 25 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not possible. Those who have given previous intimation will have to be given some time. He can take 15 minutes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I hope you will be generous.

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली एक बढ़ता हुआ शहर है और इस बढ़ते हुये शहर में जो नागरिक रहते हैं उन का जीवन ठीक प्रकार से सुरक्षित रहना चाहिये। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो कानून की व्यवस्था यहां पर है, वह इतनी खराब है, कि उस के बारे में जितना भी कहा जाय, उतना ही थोड़ा है। हो सकता है कि कागजों में, रिपोर्ट्स में, स्कीम बनाने में यहां की ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जैसा बम्बई में या मद्रास में या हैदराबाद में या और बड़े शहरों में वहां के नागरिक अपने आपको सिक्क्योर मानते हैं, दिल्ली का नागरिक अपने आपको सिक्क्योर नहीं मानता।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज ही प्रातः काल पढ़ा होगा कि दिल्ली में कोल्ड वेव एक सप्ताह के लिये आने वाली है। दिल्ली के लोग एक सप्ताह के लिए कोल्ड वेव का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कानून भंग करने और क्राइम की जो तीन-साल से दिल्ली में लगातार वेव चल रही है, आज दिल्ली का नागरिक उस से दब रहा है, आज वह अपने आपको अनसिक्क्योर्ड फील कर रहा है। इस सम्बन्ध में जो आंकड़े मेरे पास हैं, उन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1961-62 में 16081 क्राइम दिल्ली में हुए, 1962-63 में 18629 हुए, 1964-65 में 23624 हुए और आज कल लगभग 26 हजार क्राइम्स सालाना होते हैं। इस तरीके से ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता दिल्ली एक क्राइम वेव के चक्कर में फँसता जा रहा है और लोगों को मालूम नहीं कि उस का क्या किया जाय।

आज बड़े शहरों के अनुपात में अगर आवादी के लिहाज से देखा जाय तो दिल्ली में एक लाख आवादी के हिसाब से 577.75 क्राइम्स होते हैं, जबकि मद्रास में 407 होते हैं, बम्बई में 425 होते हैं और हैदराबाद में केवल 213 होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में.....

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : वहां जनसंघ का राज्य नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : लेकिन यहां आपकी सरकार है

आवादी के अनुपात के हिसाब से दिल्ली के अन्दर सब से ज्यादा क्राइम्स होते हैं। एक तरह से दिल्ली क्रिमिनल के लिये पैराडाइज हो गई है। दिल्ली ऐसे लोगों का हाइड-आउट बन गया है, जहां दिल्ली के क्रिमिनल भी और बाहर के क्रिमिनल भी शैल्टर लेते हैं।

दिल्ली में स्पेशलाइज किया है—चोरी में, बरगेलरी में। यहां पर जितनी चोरियां होती हैं, शायद हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं होती हैं—चोरियां ज्यादा हैं और किडनैपिंग ज्यादा है, हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा अगर किडनैपिंग होती है तो दिल्ली में होती है, चोरियां जो होती हैं, सब से ज्यादा दिल्ली में होती हैं और सब से बड़े शर्म की बात यह है जितनी चोरियां होती हैं, उनमें से 60 प्रतिशत लोग तो पकड़े ही नहीं जाते और जो 40 प्रतिशत पकड़े जाते हैं, उन में से 20 प्रतिशत छूट जाते हैं, केवल 20 प्रतिशत लोग ही सजा पाते हैं। यह है हमारी इस आज की पुलिस का रिकार्ड—जिसको माननीय मंत्री श्री चट्टान और श्री शुक्ल जी चलाते हैं।

जो किडनैपिंग की रेशो है—वह 8.94 है, करीब 9 परसेन्ट, जब कि बम्बई में साढ़े

[श्री कंवर लाल गुप्त]

तीन परसेन्ट है और कलकत्ता में केवल 3 परसेन्ट है। आपको आश्चर्य होगा—मेरे पास 1964 के आंकड़े हैं—दिल्ली में 1 करोड़ 38 लाख 243 ह० का माल चोरी गया और इस एक करोड़ 38 लाख में से केवल 23 लाख 11 हजार का माल वापस मिला—यानी 17 परसेन्ट रिकवरी हुई—यह है आपकी आज की पुलिस का रिकार्ड। जब कि 14 हजार आदमी यहां पर हैं। अफसर दिन-ब-दिन बढ़ाये जा रहे हैं, फिर भी दिल्ली का नागरिक अपने आपको सिक्योर फील नहीं करता।

तीन महीने पहले की बात है—सदर बाजार में एक जेब काटने वाला लड़का, छोटा बच्चा पकड़ा गया। यहां पर क्या हो रहा है—छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे कर चोरी करवाना, जेब काटना सिखाया जाता है—एक रेग्यूलर गैंग है। जब उस लड़के से पूछा गया कि क्या करते थे, कहां के रहने वाले हो, तब उसने बताया कि जामा मस्जिद पर यह हमारा गुरु है। पहले मैं जामा मस्जिद पर जेबें काटा करता था, लेकिन उस गुरु ने अब सदर बाजार खरीद लिया है, इस लिये अब हम सदर बाजार में जेब काटने आ गये हैं। ये जो माननीय मंत्री सामने बैठे हैं, अब वहां पर इन का जोर नहीं चलता है, अब वहां पर इलाके बेचे और खरीदे जाते हैं—बाकायदा उन का गैंग है कि उस गैंग का आदमी इस इलाके में काटेगा और दूसरे गैंग का दूसरे में काटेगा और अगर उस को इश्चर आना होगा, तो पैसा देना होगा।

एक हमारे कांग्रेस के प्रधान हैं—कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि हमारे अन्दर नौजवान नहीं आते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग चले जाते हैं, नौजवान आने चाहियें, इनकी चिल्लाहट के बाद भी नौजवान नहीं आते हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में जो जेब-कतरे हैं, उन के पास नौजवान जा रहे हैं।

दिल्ली में नया बाजार एक ऐसी जगह है, ऐसा बाजार है, जहां पर हर समय ट्रैफिक जाम रहता है, इतना बिजी बाजार है, शायद इससे

ज्यादा बिजी बाजार कोई दूसरा नहीं है, वहां पर 8-7 महीने पहले एक कल्ल हुआ था—आज तक उसका पता नहीं लगा कि किसने कल्ल किया। नेशनल हाई वे पर दो औरतों का कल्ल हुआ, आज तक पता नहीं लगा कि किसने कल्ल किया। आज से ढाई-तीन वर्ष पहले दिल्ली केन्ट्रनमेन्ट बोर्ड के क्षेत्र में एक परिवार के चार बच्चे उड़ा लिये गये, आज तक उनका पता नहीं लगा कि कहां गये। हां, यह हो सकता है कि अगर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित के घर में चोरी होती है, तो तीसरे दिन पता लग जाता है और चोर कौन निकलता है—पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर, जो पहले पुलिस में सब-इंस्पेक्टर था, उस के बाद वह पुलिस के दूसरे महकमे में, रेडियो के काम में भरती हो गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस चाहे तो चोर को निकाल सकती है, लेकिन यहां तो पुलिस की कनाइवेंस से चोरी होती है।

मेरे पास एक मिसाल नहीं बहुत सी मिसालें हैं। यह एक पत्र है—जिसे आपकी आज्ञा से मैं टेबिल पर रखना चाहता हूं, आप रूल के मुताबिक टेबिल पर रखने की मुझे आज्ञा दे दीजिये।

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't say that you are putting it on the Table.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक लड़की का पत्र है, जिसकी शादी हुई थी, उस के ससुराल वाले उस से पैसा मंगाना चाहते थे, उस को उन्होंने जला दिया प्राय लगा कर। उस लड़की ने पहले दो-तीन चिट्ठियां अपने पिता को लिखीं—उसकी मेरे पास फोटोस्टेट कापी है—कि मुझे घरवाले तंग करते हैं, मुझे मारपीट कर जलाना चाहते हैं, बचाओ। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन आज तक उस के घरवाले चिल्ला रहे हैं कि मेरी लड़की को जला दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई।

1966 के अन्दर बिनयनगर में किसी की स्त्री को अगवा कर लिया गया था। उसने

पहले से ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसे गुंडों से डर है कि वे उसकी स्त्री को भगा कर ले जायेंगे। लेकिन पुलिस सोती रही। 36 घंटे के बाद उसकी स्त्री को गुंडे उठा कर ले गए। इस तरह के कई केस मेरे पास हैं। सदर बाजार में किसी ने गवाही दी। उसको डर था कि गुंडे उसे मार देंगे। उसने पुलिस को बताया। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दो दिन के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। यह है आज की दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली के अन्दर दादा हैं। उनका काम ही इस तरह की गुंडा गंदियां करना है। उनकी दुकाने खुली हुई हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। यहां पर अगर कोई किरायेदार मकान खाली नहीं करता है और मालिक चाहता है कि वह मकान को खालीकर दे वह कोर्ट में नहीं जाता है, एक हजार रुपये उन दादों को दे दे तो वे दादे दिन दहाड़े उस इलाके में जाकर सरे आम उसके सामान को उठा कर बाहर फेंक देते हैं। किसी को मरवाना हो तो उसकी पांच हजार रुपये कीमत है। हर काम यहां पर कीमत अदा करने पर हो जाता है। उस हिसाब से पैसा दे दें तो आपका काम बन जाता है।

कनाट प्लेस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। आघ घंटे तक बोटलें चलती रहीं। अगड़ा क्या था? नई दिल्ली की दो बड़ी बड़ी फर्म हैं। उनका आपस में अगड़ा था कि बोर्ड किस का ऊपर लगे। एक फर्म ने गुंडों को बुलाया और उनको पैसा दिया और उन गुंडों ने जो पास में ही पनवाड़ी की दुकान थी। वहां से बोटलों को उठा उठा कर मारना शुरू कर दिया। आघ घंटे तक कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं आया और जो पुलिस वाले खड़े भी थे वे इस दृश्य को देख कर भाग गए। पैसा दे कर लोगों को यहां मरवाया जाता है, मकान खाली करवाये जाते हैं, बच्चों को अगवा करवाना हो तो वह करवाया जाता है। यह यहां पर दौर दौरा है। यह है भारत की राजधानी दिल्ली की

स्वीर जो मैंने आपके सामने चन्द शब्दों में खींची है।

यहां की पुलिस वही यर्ड ग्रेड मीज डिटेक्शन के काम में लाती है, वही तौर तरीके अपनाती है जिनको वह आज तक अपनाती आई है। उनमें कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन आप देखें कि गुंडों के तरीके कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। बड़े ही साइंटिफिक तरीके वे काम में लाते हैं। अगर वे चोरी करने जाते हैं तो उनके फिगर प्रिंट्स आपको वहां नहीं मिलेंगे, हाथों के निशान लग जायें, ऐसा नहीं होगा। इस तरह की चीजों को सिखाने के लिये इन गुंडों ने बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली में बना रखे हैं। किस साइंटिफिक तरीके से ये काम चल रहा है इसको आप देखें। वालकट का मामला आपने सुना होगा। वह यहीं पर घटा था। प्रोफ्यूमो का मामला भी आपने सुना ही है जिसको लेकर इंग्लैंड में एक मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली में जितनी ये पोश कालोनीज है, डिफेंस कालोनी है या दूसरी लोकैलिटीज है वहां पर अगर रात को जाकर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं, बड़े बड़े आई०सी०एस० अफसर जाते हुये आपको मिलेंगे

एक माननीय सदस्य : रिटायर्ड तो नहीं है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : रिटायर्ड इसलिए नहीं कि उनसे किसी का काम बनने वाला नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस की निगाह के नीचे सब कुछ हो रहा है। यह डिफेंस कालोनी में तथा दूसरी कालोनीज में हो रहा है और नम्बर भी मैं बता सकता हूँ . . .

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नम्बर न बताइये, ट्रेजरी बैचिज वाले वहां चले जायेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : पुलिस जो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है इसका कारण क्या है। जिस तरह की अछ्छी पुलिस यहां राजधानी में होनी चाहिये, नहीं है। पुलिस

[श्री कंबर लाल गुप्त]

कुरप्ट है। उनके साथ यह मिली हुई है। यहाँ तक कि कुछ पुलिस स्टेशज हैं जो प्राइज पुलिस स्टेशज कहलाते हैं। हर थानेदार या इंस्पेक्टर या डी०ए०पी० वहाँ जाना चाहता है। वहाँ जाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। एस्टीमेट यह किया जाता है कि कुछ पुलिस स्टेशन पांच हजार रुपये से लेकर तीस हजार रुपये महीने तक आमदनी करते हैं...

एक माननीय सदस्य : पैंतीस हजार।

श्री कंबर लाल गुप्त : मैंने माडरेट सा एस्टीमेट दिया है। पुलिस कुरप्ट है। उसके सामने चोरियाँ होती हैं। जुर्म होते हैं लेकिन वह कुछ करती नहीं है। जिस तरह की पुलिस चाहिये उस तरह की पुलिस बनाने की थ्रोर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। ला एंड थ्राईर केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। दिल्ली प्रशासन के हाथ में यह विषय नहीं है। केन्द्रीय सरकार को इस और ध्यान देने की फुरसत नहीं मिलती है। कुछ थ्रानी पार्टी के उसके थ्रगडे हैं थ्रोर कुछ दूसरे थ्रगडे हैं।

I must say, Mr. Deputy-Speaker, it is a baby of a father who has many children; he creates a new one every year but has no time to look after them.

कहने का मतलब यह है कि ला एंड थ्राईर ऐसे पिता का बेटा है जिस पिता के बहुत सारे बच्चे हैं थ्रोर हर साल थ्रोर बच्चे पैदा करता जाता है, चाहे वह चंडीगढ़ के रूप में करे या किसी थ्रोर रूप में करे। उसे बच्चों का कुछ थ्राल नहीं रहता है। कितने बच्चे उसके हैं यह भी उसको पता नहीं रहता है। इस तरह से वह थ्रपने बच्चों को कांस्टेंटली निगलैक्ट करता जाता है। इस बच्चे की थ्रोर उसका कोई ध्यान नहीं है।

सोस्ला कमिशन की जो टेरिम रिपोर्ट है उसमें से मैं एक वाक्य पढ़ूंगा। उसने कहा है :

"we should be wanting in our duty if we fail to point out the fact that life in the police force has immense opportunities of making illicit earnings. The reputation of the police has never been at a lower ebb than now."

यह हाई कोर्ट के जज का कहना है। शायद जितनी तस्वीर मैंने खींची है उससे भी खराब हालत पुलिस की है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसको प्रोक्लेन्ड आफेंडर पुलिस ने डिक्लेयर किया था। आठ साल तक वह दिल्ली में रहा। उसने यहाँ शादी की। उसके दो तीन बच्चे भी हो गये। इतना होने के बाद भी जब पुलिस उस को पकड़ नहीं सकी तो उसने कहा कि मैं क्यों न अब शान्ति से रहूँ। आठ साल के बाद व खुद पुलिस के पास चला गया और कहने लगा जो सजा देनी हो दे दो और अगर माफ करना हो तो माफ कर दो, मैं शान्ति से अच्छा नागरिक बन कर रहना चाहता हूँ।

इस सब का कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी दिल्ली की पुलिस माब कन्ट्रोल करने में, मेलों को कंट्रोल करने में, 144 दफा लागू करने में, वी०आई०पी० के पीछे, मिनिस्टर्ज और सेक्रेटरीज के पीछे ही रहती है, उनको ही एटेंड करती फिरती है और बार्का कामों को एटेंड करने की उसको फुरसत ही नहीं मिलती है। जो पुलिस का सही काम है उनको करने की उसको फुरसत ही नहीं मिलती है। चोरियाँ हों, लोग मरें या जिन्दा रहें इसका उसको कुछ खयाल ही नहीं रहता है। मैं मांग करता है कि पुलिस का जो सही सही काम है, उसको करने के लिये पुलिस की अलग से व्यवस्था की जाए और यह जो आर्थर वर्क है, जो बीच बीच में होता रहता है इसकी अलग व्यवस्था की जाए।

मैं दो तीन सुझाव लेकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि माडर्न लाइज पर, दिल्ली जो कि राजधानी है उसकी थ्रान के मुताबिक यहाँ पुलिस का गठन होना चाहिये,

पुलिस बननी चाहिये । यहां पर उसी तरह का इन्विपमेंट रूढ़ा करें । यहां पर पुलिस की कोई मोबिलिटी नहीं है । वहां आठ गाड़ियां हैं जिन को हम रोज देखते हैं सड़कों पर घबका देते हुये पुलिस वालों को । पुलिस की मोबिलिटी आप बढ़ायें । यहां कोई लैबोरेटरी नहीं है । किस तरह से खून आदि दूसरी चीजें टेस्ट हो सकती हैं । किसी चीज को टेस्ट करने का इंतजाम नहीं है । यहां कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है । ट्रेनिंग दिलाने के लिये साल में केवल दो अफसरों को बाहर भेजा जाता है । यहां पर ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिये । सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि यहां पर नाइट पैट्रोलिंग का काम होना चाहिये । अभी इन्होंने डिस्क सिस्टम चालू किया है । लेकिन देखने वाला कोई नहीं है । एस०आई०, ए० एस० आई, कांस्टेबल सब मिल जाते हैं और सब सोये रहते हैं ; इस चीज को आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा । पैट्रोलिंग ज्यादा होना चाहिये । अफसर अब तो केवल कागजों पर ही काम करते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं । फील्ड में अगर जायें, पैट्रोलिंग करें, घूमते रहें इलाकों में तो काम अच्छा हो सकता है । आखिर को गुंडे कितने हैं दिल्ली में ? डेढ़ दो सौ ही तो होंगे । उनको क्यों निकाल बाहर नहीं किया जाता है ? आपके पास कानून है । उनको आपको एक्टिव करना चाहिये । आज दिल्ली की पुलिस डिससैटिसफाइड है । उसको जितनी सुविधायें मिलनी चाहियें नहीं मिली हुई हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि डिससैटिसफाइड फोर्स कभी भी एफोशेंट नहीं हो सकती है, कभी भी ईमानदार नहीं हो सकती है । खोसला कमीशन ने जो रिक्मंडेशंस दी हैं उनको मान लिया जाना चाहिये और जल्दी से जल्दी उनको इम्प्लेमेंट करना चाहिये । जिस स्पीड के साथ आप उनको इम्प्लेमेंट कर रहे हैं उस स्पीड से काम होने वाला नहीं है । अगर आप इन मेरे मुझाबों की ओर ध्यान देंगे तो दिल्ली की पुलिस को आदर्श पुलिस बनाने में आपको मदद मिल सकती है । तब दिल्ली की पुलिस आदर्श पुलिस बन सकती है ।

आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सर्कुलर आया है, जिसमें कहा गया है कि घरेलू नौकरों के बारे में पुलिस को पता दिया जाये । इस वक्त दिल्ली में तीस हजार घरेलू कर्मचारी हैं । पहले उनमें से ज्यादातर यू० पी० के लोग थे । अब यू० पी० गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हम से उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो पांच रुपये प्रति-व्यक्ति दीजिये । पहले दिल्ली पुलिस क्या करती थी कि स्ट्रेंजर रोल के नाम से यू० पी० गवर्नमेंट से पूछती थी कि फला आदमी सड़क पर घूमता हुआ पाया गया है, उसका नाम और पता यह है उसका चाल-चलन बताइये । पहले इन नौकरों की तफतीश इस तरह की जाती थी । जब यू० पी० गवर्नमेंट को पता चला कि यहां का पुलिस चार सौ बीस करती है, तो उसने कह दिया कि जिस व्यक्ति की तफतीश कराना हो, उसके लिए पांच रुपये भेजे जायें । आज पुलिस के पास तीन हजार केसिज ऐसे हैं, जिन की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है । मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय उस के बारे में बतायें ।

मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस में कोई पोलिटिकल सवाल नहीं है । यह तो यहां के लोगों की सुरक्षा का सवाल है । हमें अपनी पुलिस की व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए, जिससे दिल्ली के लोग सिक्युर फील करें और अच्छी तरह से जिन्दगी बसर करें ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने अभी दिल्ली के बारे में कहा है और गलती से वह अपनी ही बात में खुद फंस गए हैं । वह कहते हैं कि यहां पर डिफेंस कालोनी में रात के वक्त बहुत कुछ होता है । न जाने उन को इस का कैसे तजुर्बा है? शायद वह भी वहां पर जाते होंगे इसी लिए उन को पता है और उन्होंने इस का जिक्र किया है ।

श्री कंचर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन लोगों के पास मेरी बातों का सिर्फ यही जवाब है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has raised an important issue and has given some facts. It is no question of allegation and counter allegation or insinuation. This is not fair.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : उन्होंने पुलिस के बारे में कई बातें कही हैं। मैं मानता हूँ कि पुलिस में कर्पण है और पुलिस में बुराईयाँ हैं, इस लिए कि वह घंघा बहुत देर से चल रहा है। लेकिन दिल्ली में एक और चोरी चलती है और वह कारपोरेशन में है।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय हम दिल्ली के कानून और व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, यह कारपोरेशन के अधीन नहीं है : यहाँ पर कारपोरेशन का प्रश्न कहाँ से आ गया?

SHRI M. L. SONDHI : (New Delhi) The House should not usurp the powers of the Corporation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already pointed out to the speaker that the main question is the crime situation in this metropolitan city. If you say something that whatever he has stated is not correct, I can understand, but don't bring in extraneous matters.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : दिल्ली में क्राइम की पोलीसन यह है कि जब कोई स्कूटर ड्राइवर, टैक्सी-ड्राइवर या तांगे वाला किस सवारी को बिठाता है, तो वह पूछ लेता है कि कहाँ पर जाना है। अगर उस सवारी ने नजदीक जाना है, तो वह उस को ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब पैसेंजर कहता है कि मुझे ले चलो और नम्बर नोट करना चाहता है, तो ये ड्राइवर लोग लड़ाई और मार-पीट के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी पुलिस मुंह देखती रहती है और शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर इस बारे में लेफ्टिनेंट-गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखते हैं, तो वहाँ से यह जवाब आ जाता है कि हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है।

दिल्ली में अफीम और चरस बेचने, जुआ, चोरी, छुरेखानी, कल्ल और ठगी की बारदातें होती हैं। मेरे दोस्त ने पूछा है कि मुज्रिमों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है। पकड़ा इस लिए नहीं जाता है कि दिल्ली के हमारे राजनीतिक नेता, बड़े बड़े लीडर, उन को छुड़ाने के लिए थाने पहुँच जाते हैं और पुलिस अफसरों को कहते हैं कि अगर आपने इन को नहीं छोड़ा, इन को सजा देने की कोशिश की, इनको गिरफ्तार किया, तो हम तुम्हें ट्रांसफर करा देंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करवायेंगे।

आज दिल्ली में हालत यह है कि मकानों की तीन, चार, पाँच मंजिलें बनाई जाती हैं और कोई पूछता नहीं है। मकान खस्ता हालत में होते हैं, गिरने वाले होते हैं, ऊपर से ईंटें गिरती हैं, लेकिन नीचे के लोगों की शिकायत कोई नहीं सुनता है। हमारे होम मिनिस्टर साहब इस बारे में विचार करें और इस किस्म की अनअथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन को खत्म करावें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्मगलिंग और चोरी के जितने मुकदमे बनते हैं, अगर वे सब नहीं, तो कम से कम अस्सी फ्रीक्वेंसी, कोर्ट में बरी हो जाते हैं, क्योंकि उन की पूरी तरह से तहकांकत नहीं की जाती है। जहाँ पुलिस करप्ट है, वहाँ दिल्ली के नेता भी बेकसूर नहीं हैं। ऐसी व्यवस्था की जाये कि जो पोलिटिकल आदमी, जो सियासी नेता, मुज्रिमों को छुड़ाने के लिए जायें, उनकी बाकायदा लिस्ट बनाई जाये, उन की तहकीकात की जाये और छः महीने के बाद उस लिस्ट को छाप दिया जाये, ताकि जनता को पता चले कि ये लोग मुज्रिमों को छुड़ाने के लिए गए थे। अगर हमने दिल्ली में कानून और व्यवस्था को ठीक करना है, तो जहाँ हम ने पुलिस में सुधार करना है—हालाँकि सारी पुलिस करप्ट नहीं है—वहाँ जो नेता लोग, जो पोलिटिकल आदमी इन कामों को छिपाने की कोशिश करते हैं और मुज्रिमों की मदद करने के लिए अपने अफसरों-रूसूख का इस्तेमाल

करते हैं, उन की भी रोक-थाम की जानी चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER Now, Shri Lobo Prabhu.

I want to accommodate those who have given notice. Of course, there are a number of other Members also who want to participate.....

SHRI S. M. BANERJEE : I have already written to you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I know that he has written to me. He is quite vigilant. I have already noted down his name.

श्री रवि राय (पुरी) : मैंने भी अपना नाम भेजा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri Lobo Prabhu. Let him be brief.

SHRI R. S. VIDYARTHI (Karol Bagh) : I have also given notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Those who have given notice will get their chance. I cannot disclose anything further than that now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Since this is a problem mainly pertaining to Delhi, the Delhi Members might be given preference.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I fully realise that this is not a party problem but it is a social problem which he has focussed our attention on. Certainly, other Members also might like to add something. It is not as if this is a problem where other Members should not participate. Those who have given notice will get a chance.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : You have correctly stated that the problem here is a social one.

Sir, I have been associated with the police from 1928 as magistrate, as Home Secretary and in one way or another, and I know this that since that date the police administration has been going down. Police administration exists neither in Delhi nor in India at all. If there are any investigations which are successful, they are largely a result of accidents, largely the result of some information

which might have been given by an accomplice.

Police Administration falls into three parts : first, there is vigilance, second, there is investigation and the third is law and order maintenance.

SHRI S. M. BANERJEE : Fourth—negligence.

SHRI LOBO PRABHU : All these aspects have fallen into disrepute, disuse, for many reasons. One reason you have given yourself is the decline in social conditions, decline in economic conditions. That is too vast a subject; I dare not enter into it now. The second, which is very important and which has been slightly touched upon by the hon. Member who has raised the discussion, and our friend across.....

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : What happened to the evacuee property when you were the Custodian ?

SHRI LOBO PRABHU : Probably you took some of it and I stopped you.

SHRI AMRIT NAHATA : Because it went against you.

SHRI LOBO PRABHU : I will return to my hon. friend if I can save some time, but let me conclude this part.

The first reason had been touched by both. That is political interference. Today the police are not free. It is not a question of the administration being with the Centre or with the Corporation. It is a question of the administration being by itself under its own officers without any interference of any kind. Interference is of many kinds. First, there is the question of favouritism in appointments; second there is the question of favouritism in respect of the disposal of a particular complaint or a particular situation; third, there is the question of favouritism to a particular party or a particular movement or a particular situation. So first and foremost, let the police be left to themselves. In Calcutta, it has been affirmed that the police have their own duties, that they cannot do these duties without breaking the law. Let governments everywhere in India make up their mind to leave the police to administer their law with the responsibility placed on them.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : They have been left to do whatever they like. What more does he want ? Left to themselves, nobody can control them.

SHRI LOBO PRABHU : The point is whether the administration will be better by interference by a party or political authority in power. They have got their own superior officers. You have got the power to appoint commissions. You have got the power to take action against those who do not do their duties properly.

I am speaking with some experience on this subject. I have known that police officers, if they are not subject to interference from outsiders, behave better than if they are subject to interference.

SHRI S. M. BANERJEE : We have suffered, he has not.

SHRI LOBO PRABHU : I have suffered as much as anybody else. If we want a good police administration, let it be an administration where police officers are made to observe their duties and made to follow the law and made to serve the people that way. It will give confidence to them if they have not all the time to look over their shoulders and see what the Minister or somebody else wants to be done. It will give confidence to the people if they know that the single person with whom they have to deal will be responsible.

So this is my simple plea that Government withdraw from this kind of interference with the police administration so that those who are in charge of their work do it with a full sense of responsibility that they will be punished if they do not do their work and that they will be rewarded if they do so.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Balraj Madhok.

SHRI AMRIT NAHATA rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under rule 193, those who have given notice will be allowed. It is specifically laid down there. If I make an exception on this side, I will have to make 10 on the other.

SHRI AMRIT NAHATA : I want to ask only one question.

MR. DEPUTY SPEAKER : No.

SHRI RANDHIR SINGH : Is my name there ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he had given it, it would be there. Even then, he must be vigilant.

SHRI RANDHIR SINGH : You are unnecessarily getting angry.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please resume your seat.

SHRI RANDHIR SINGH : Is my name there or not ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not going to disclose it.

Shri Tulsi Das Jadhav will resume his seat. I am going to follow the rule.

SHRI BALRAJ MADHOK :

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय सदन के विचाराधीन है उस के बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते। दिल्ली के अन्दर कानून की व्यवस्था बिगड़ रही है। यहां पर अपराध बढ़ रहे हैं। यहां पर चोर और उचक्का जो है उस के हाथ में अधिकार है। इस प्रकार की लोगों में एक धारणा चल रही है। इसलिए इस के बारे में मैं अधिक कहूंगा नहीं। एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। अभी चंद दिन हुए एक सज्जन पर, रात को जिस समय वह लाह-दरा जा रहे थे, रिक्शे के ऊपर कुछ लोगों ने कपड़ा डाला, बेहोश कर लिया और जब उन को होश आया तो वह कहीं पालम के आगे किसी गुफा में पड़े थे। वहां पर उस ने देखा कि कई और लड़कियां और कई और आदमी हैं। वहां उससे अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखाई गई कि तुम इस जगह 25 हजार रुपये रख जाओ, तो मैं छोड़ दिया जाऊंगा। उसके बाद एक दिन रात को मौका पाकर वह भाग आया और अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन उनके घर के बाहर नोटिस लगा हुआ था तुम हमारी कैद से भाग आये हो। 25 हजार रुपये यहां पहुंचा दो वरना तुम्हें मोली से

उड़ा दिया जायगा। यह चंद दिन पहले की बात है। जो बात हम सुनते थे कि मध्य प्रदेश के रेबीन्स में हो रही हैं, दिल्ली में भी होनी शुरू हो गई। इससे अन्दाजा लगेगा कि दिल्ली के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति कैसी है, अब इसके कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ कंवर लाल जी ने उस के बारे में बताया है। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां जो पुलिस के अधिकारी हैं जिन के हाथ में ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था है, वह समझते हैं कि किसी अपराध की खोज करने में कोई लाभ नहीं है। आसान बात है, उसे फाइल कर दो। मेरी एक अच्छे पुलिस अफसर से बात हुई। वह कहने लगे कि अगर हम किसी केस को ट्रेस आउट करते हैं और उसके पीछे जाते हैं तो कहीं इधर से दबाव आता है कहीं उधर से दबाव आता है। हमारी पोजीशन भी खराब होती है। इसलिए हम उसे फाइल कर देना आसान समझते हैं। आप देखें कि दिल्ली में कितनी रिपोर्ट्स होती हैं, कितने केसेज ट्रेस होते हैं, कितने फाइल होते हैं यह आंकड़े देखेंगे तो सारी पिक्चर सामने आ जायगी। और उस में जो पोलिटिकल लोग हैं उन की इन्टरफियरेंस जो है इसका बड़ा भारी हाथ है। वास्तव में जहां गुंडों के दादा हैं वहां उनके दादा पोलिटिकल लीडर्स हैं। जब तक यह पोलिटिकल लीडर्स पुलिस के कामों में दखल देना बन्द नहीं करेंगे और गुंडों को शह देना, उन्हें प्रोटेक्ट करना बन्द नहीं करेंगे तब तक इसका कोई हल नहीं होने का, यह चीज चलती रहेगी। पिछले 18-20 सालों में यह चीज चलती रही। हम बार बार यह चीज सरकार के नोटिस में लाये। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

तीसरी चीज है ह्यूमन नेचर। आज पुलिस के अंदर जो लोग हैं वह वह लोग हैं जो इस समाज में से आते हैं और उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो एक ऐसी परम्परा में पले हैं कि वह समझते हैं कि पुलिस के अफसर बनने पर हर जगह अपना हाथ रखना है, हर जगह अपना कमाना

है और उसके ऊपर कोई रोक नहीं। चंद दिन हुए मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि क्या करें? एक को बर्ले, दूसरा आयेगा वह भी ऐसे ही करेगा। इसलिए यह जो आफिसर क्लाम आ गई है, बहुत ऊंची छोड़ कर जो बीच की क्लाम है उस के बारे में जब तक बहुत सख्ती से अमल नहीं किया जायगा तब तक कोई काम नहीं बनेगा। जब तक कोई केस नोटिस में आये तो सख्ती से उस को डील नहीं किया जायगा तब तक कुछ हो नहीं सकेगा।

चौथा कारण यह है कि इस वक्त दिल्ली में डायर्की है, दोअमली हकूमत है। ऐडमिनिस्ट्रेशन किसी के हाथ में है, पुलिस किसी के हाथ में है। और जहां दोअमली होगी, डायर्की होगी वहां पर इस प्रकार के एलीमेंट्स को मनमानी करने का मौका मिलेगा। आज दिल्ली प्रशासन के पास पुलिस का सर्विस रोल नहीं है, कंट्रोल उन का नहीं है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो यह दो अमली जब तक दूर नहीं होगी तब तक सुधार होना मुश्किल है। मेरे दो एक सुझाव हैं। एक तो यह कि जल्दी यह दोअमली दूर होनी चाहिए क्योंकि इसके बिना ला एंड आर्डर सुधर नहीं सकता। दूसरी चीज यह है कि यहां पर जो लोग हैं, यह पुलिस आफिसर हैं, आई०जी० पी० हैं, होम मिनिस्ट्री है और लोकल जो प्रमुख लोग हैं उन की समय समय पर बैठक होनी चाहिये चाहे वह होम मिनिस्टर कन्वीन करें या चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसिलर कन्वीन करें जिसके अन्दर एक्सचेंज आफ नोट्स हो, सुझाव रखे जायें। सारे के सारे हाउस के अंदर यह चीज नहीं आ सकती। इसलिए दिल्ली के बारे में एक छोटी कमेटी दिल्ली के मेम्बर्स जो हैं उन की बनायी जाय जो होम मिनिस्ट्री के साथ तालमेल करे तो दिल्ली की समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है।

तीसरा, सुझाव यह है कि यहां जो छोटे छोटे पुलिस के कर्मचारी हैं उन के अन्दर बहुत सारी

[श्री बलराज मधोक]

डिससेटिस्फैक्शन है एमेनिटीज के बारे में । खोसला कमेटी की रिपोर्ट आयी है पर उस पर भी अभी अमल नहीं हुआ है और 12-14 सौ आदमी जो सस्पेंड हुये हैं उस के कारण भी बड़ी डिसकन्टेन्ट है । आप किसी कान्स्टेबल से बात कर के देखिये । और जिस समय डिसकन्टेन्ट होगा, असन्तोष होगा तो वह कई बार उदासीनता से कहते हैं : दफा करो जी, जाने दो, हम को क्या पड़ी है । यह जो स्थिति पैदा हुई है, यह जो उदासीनता की साइकोलोजी पैदा हुई है, यह भी दिल्ली का ला एंड आर्डर खराब करने के लिये जिम्मेदार है । अगर इन मुद्दाओं पर ध्यान दिया जाय, तो शायद स्थिति सुधर सके ।

श्री रवि राय (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि दिल्ली की कानूनी समस्या के बारे में जो चर्चा यहां पर हो रही है, यही स्थिति करीब करीब सारे देश की है । लोक सभा के पिछले सत्र में हम लोगों ने पुलिस कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी, उस के सम्बन्ध में बहस उठाई थी । लेकिन हम को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस बहस के बावजूद भी बहुत से पुलिस के सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, सस्पेंड हुये पड़े हैं, और उन को अभी तक परेशानी भुगतनी पड़ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के बाद से अब तक जनता और पुलिस के रिश्ते के सिलसिले में बुनियादी तौर पर सोचा गया हो—ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई मौलिक विचार इसके सम्बन्ध में नहीं हुआ कि पुलिस और जनता के बीच कैसा रिश्ता हो । हम को याद पड़ता है कि 1838 में जो अंग्रेजी जमाने के गवर्नर थे—लैम्बर साहब—वह कहते थे कि यहां पर ब्रिटिश व्यवस्था को कायम रखने के लिये कम-से-कम जो सिपाही हैं, उनको अपने अफसरों से ज्यादा डरना चाहिये, बनिस्वत दुश्मन के । मैं कहना चाहता हूँ कि यहां 1903 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुलिस कमीशन नहीं बैठाया गया । मैं

मांग करना चाहता हूँ कि अब जनता और पुलिस के सिलसिले में, उनके रिश्ते को ज्यादा प्रजातान्त्रिक ढंग से, गणतान्त्रिक ढंग से व्यवस्थित करने के लिये शीघ्र एक पुलिस कमीशन बैठाया जाय । यह सिर्फ दिल्ली के पुलिस का सवाल नहीं है, सारे देश के लिए पुलिस कमीशन बैठाया जाय ।

दूसरे जो सिपाही हैं, पुलिस के कान्स्टेबल हैं, उनकी तनख्वाहों, रहने की व्यवस्था आदि पर विचार किया जाय । दिल्ली में यह साबित हो चुका है कि उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही है, उनको तनख्वाहें ठीक नहीं मिल रही हैं—दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है—इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में पुलिस जनता की मालिक थी, आज जिसको हम वैंलफेयर स्टेट कहते हैं, उसमें पुलिस को जनता का सेवक होना चाहिये, लेकिन अभी भी वही पुरानी स्थिति बनी हुई है । मैं चाहता हूँ कि जैसे इंगलिस्तान में जो काउन्टी कान्सिल है, उनके मातहत पुलिस को रखा गया है, राष्ट्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के मातहत नहीं दिया गया है, मेरा यह मौलिक सुझाव है । उसी तरह ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के हाथ में हम थानों को दे दें, उनकी प्रमोशन, उनकी तनख्वाहें आदि दे दें, तो ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको सलाम करने, उनका सम्मान करने के लिये पुलिस को झुकना पड़ेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि विकेन्द्रीयकरण करके थाना और पुलिस का जो विभाग है, उनकी जो समस्याएँ हैं, हमें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के हाथ में देना चाहिये ताकि जनता और पुलिस का रिश्ता जो आज बिगड़ चुका है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परम्परा को जो सरकार ने कायम रखा है, वह बदलेगा और इस तरह से जनता और पुलिस के बीच में जो रिश्ता बुरा हो गया है, वह अच्छा हो सकेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Banerjee. Now, I would like to point out the rule. Many Members do not know the rules. I am not supposed to extend even the time. So, please try to finish it in two minutes; please put only one or two questions. (Interruption). You said that I can extend the time. It is not possible.

SHRI TULSHIDAS JADHAV (Bara-mati) : The other Members are allowed at least to put some questions, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is under a different rule. We are now on a discussion under rule 193. When he gets the Order Paper in the morning, I would request the hon. Member to go into the rules. It is not possible to extend the time.

श्री स० भो० कान्छी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री कंवर लाल गुप्ता को, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने उठाया है और उन्हीं के आंकड़ों में, जब तक इनका मंत्री जी खण्डन न करें, आज चार-पांच सालों में ये क्राइम्ज 16 हजार से बढ़ कर 26 हजार हो गये हैं। लेकिन सुना यह जाता है कि बंगाल में ला एण्ड आर्डर सिच्युएशन खराब है। तो सवाल हमारे सामने यह है कि—मेरे पास देश के पूरे आंकड़े हैं, लेकिन मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता—हर जगह तकरीबन तकरीबन प्लस ही हुआ है। माइनस कहीं भी नहीं हुआ है। मर्डर्ज में ही 5.9 प्लस हुआ है, माइनस यदि किसी चीज में हुआ है तो वह किडनैपिंग है—लोगों ने किडनैपिंग में मेहरबानी की है, वह देश में 5.5 है। आज हम पुलिस अफसरान को गालियाँ दें, बुरा भला कहें, आखिर वे भी किसान मजदूर के बेटे हैं—इसलिये मैं नहीं कहना चाहता हूँ—लेकिन कुछ बर्ताव बदलना चाहिये। आज जब हम क्राइम्ज पर बहस कर रहे हैं, पुलिस की चर्चा कर रहे हैं तो मैं फिर नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ—डा० लोहिया को जिन्होंने कुछ साफ चीजें हमारे सामने रखी थीं कि क्या आचरण होना चाहिये—इस सदन के सामने रखी थीं, लेकिन उन पर यह सरकार अमल नहीं

करेगी। अगर यह सरकार उनके मरने के बाद भी उन पर अमल करे, तो मैं समझता हूँ कि वह उन के प्रति सब से बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

एक चीज मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि मर्डर्ज यहां बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर सिर्फ कैलाश कालोनी में ही एक साल में तीन-चार मर्डर्ज हुए और कोई पकड़ा नहीं गया। कुत्ते भी बुलाये गये थे, लेकिन कुत्ते कलकत्ता बगैरह में तो काम कर सकते हैं, लेकिन यहां के कुत्ते भगवान जाने बजाय चोर को पकड़ने के जिघ्र्र खाना देखते हैं, उधर चले जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि पुलिस डाग्स के बारे में भी सोचा जाय कि यहां पर कौन से डाग्स रखे जा रहे हैं।

आखरी चीज मैं दफा 144 के बारे में कहना चाहता हूँ—यहां से यह खत्म होगी या नहीं? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहां पर एक जलूस आया, लारी में, बस में बैठ कर कुछ लोग आये थे बंगाल के बारे में मजाहरा करने के लिये, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, आडिनरी क्लास में रखा गया, आज उनकी जमानतें हुई हैं। दफा 144 हटनी चाहिये ताकि लोगों को मजाहरा करने का मौका मिल सके।

आज जो मुकदमे चल रहे हैं पुलिस के कर्म-चारियों के खिलाफ, मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा—वे नौजवान हैं, कम से कम उनको छोड़ने की कृपा करें ताकि जनता के रिश्ते में कुछ फर्क आये। आज इस सदन में एक कमेटी बननी चाहिये जो कि पुलिस के बारे में कोड इवाल्ब करे ताकि ब्रिटिश राज्य में जो पुलिस का सिलसिला था, वह बदले।

म मधोक साहब की एक बात का भी समर्थन करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक कोड इवाल्ब करना चाहिये ताकि किसी गुण्डे का समर्थन न करे। अतुल्य

[श्री स० मो० बनर्जी]

बावू किसी गुण्डे का समर्थन करते हैं, तो करें, लेकिन हमें नहीं करना चाहिये।

श्री शशि भूषण वाजपेयी (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस शहर में पुलिस से ज्यादा बख्खार के लोग सतर्क हैं, जो ज्यादा सूचनायें लोगों को देते हैं। सब से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। रेलवे के कुछ मेट्रोसेज चोरी हुये, उसमें तीन व्यक्ति पकड़े गए। जब उस में तलाशी हुई, तो एक कौन्सिलर के घर पर तलाशी में कुछ गद्दे निकले, लेकिन उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ ?

दूसरे, एक राजनीतिक पार्टी के दिवाली के दिनों में इसी शहर में, उनका जो राजनीतिक चुनाव चिन्ह है, उसको छाप कर पंचियां बांटी कि यहाँ पर मिठाई सस्ते रेट पर मिल सकती है। हाबताकि वहाँ पर उतनी मिठाई नहीं मिली। उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर किया गया या नहीं ?

तीसरे, रेलवे की एक वेगन नरेला से माजियाबाद भेजी गई, जो दिल्ली में पकड़ी गई, उसमें वो० एम० गुप्ता जी थे। लेकिन बहुत नजदीक के रिश्तेदार थे एक राजनीतिक नेता के दिल्ली में और उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उनका नाम क्या है ?

श्री शशि भूषण वाजपेयी : आपके भाई गुप्ता जी बैठे हुये हैं—

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, this is a very serious matter.

MR. DEPUTY SPEAKER : I have said that no mutual recrimination should be indulged in.

श्री शशि भूषण वाजपेयी : मैं नाम नहीं ले रहा था। मैं सवाल ही पूछ रहा था। किसी पार्टी का भी मैंने नाम नहीं लिया। बेरवा साहब चाहते हैं मैं नाम लूँ—

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has not mentioned any name.

श्री शशि भूषण वाजपेयी : मैं ऐसी रवायत नहीं चाहता हूँ कि नाम लिये जायें। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ट्रेडीशन पर चला जाए। मैंने प्रश्न ही आपके सामने रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका उत्तर दे दिया जाए।

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the law and order problem of Delhi is connected with what attitude we give to the police force. The police was used in a colonial India which had not attained freedom, as an instrument of coercion. With freedom the first thing that the Government ought to have done was to give a new outlook, a new orientation to this police force. The change which should have been brought into this police force immediately after independence has unfortunately not been done during the last twenty years because, as my hon. friends have said, this police force has been used by the politicians to perpetuate somewhere their party rule and to perpetuate their individual ends at the cost of the community, at the cost of the nation.

I would say anybody who understands the problem of a constable knows under what difficult circumstances he works, under what strenuous circumstances he works. He has no leave, no privilege, he is called upon to work for 24 hours, and he has to practise to implement the real meaning of the rule of law because he is the man at the root. Today somebody may be hauled up and sent behind the bars because he has been found moving like a vagabond or he has no ostensible means of livelihood. The man who can do this is the constable. It is the constable who can pull me up and and put me in the lock-up whereby my individual freedom, my liberty will be sacrificed. To this man who does all these things, who has been given this responsibility, what has this country given? The Khosala Commission had said that the privileges given to these constables, these people at the lower rung in the police cadre, are so outmoded that they have to be changed. They have not changed in these years. In spite of the recommendation the Government is sitting like a silent spectator.

Sir, I will conclude by referring to only one chapter of this report. The Commission has made an evaluation between a clerk's pay and a constable's pay. A clerk's total emoluments, they say, come to about Rs. 191 whereas a constable gets only Rs. 129. They say that a constable's job is much more serious, much more responsible than a clerk's job. The Commission has said :

"We have thus seen that when we compare the qualifications, the work and the pay-scales of police constables with four other categories of the same social status in four other walks of life we find that the duties and responsibilities of a police constable are higher but his emoluments are considerably lower."

This is a shocking revelation. Therefore, the first thing the government ought to do is to see that the conditions of service of the officers and those at the lower rungs must be improved. Those officers and men who were suppressed, who were disbanded, sent back to their parent departments or dismissed from government on the frivolous charge of misconduct, they should be taken back to the job and they should be dealt with liberally.

There is another matter which this Commission has dealt with, particularly about the Delhi Police, which I hope the hon. Minister will take into account. The Commission says that when it went round to take evidence it found serious neglect of duties among the top officers of the Delhi Police Administration. The Commission has also said that it is not correct that while in the higher echelons of the police administration you put in educated, people, brilliant people with attractive academic achievements the bottom is filled with worthless stuff. Therefore, the Commission has pointed out that while recruiting people to the police force, the Government should also see that men who are properly qualified, men with integrity, men with a sense of sacrifice, men who are properly oriented and who can change with the changing conditions of time should be recruited. Therefore, I plead with the government and the Minister on this occasion that they must make a specific announcement as to what sort of streamlining they are going to have in the police administration.

17.57 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : Sir, with your permission, I rise to announce a change in the order of Government business for tomorrow, the 6th December, 1967. After disposal of the Essential Commodities (Second Amendment) Bill, further discussion on the Report of the Education Commission and Report of Committee of Members of Parliament on Education will be taken up. The Official Languages (Amendment) Bill and the Resolution on Languages will be taken up thereafter.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY (Cuddalore) : May we know the reasons for the change in business ? What under currents have passed in between ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This announcement is being made after a decision has been taken by the Business Advisory Committee.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : The Business Advisory Committee simply allots time. The order of business is left to the government.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Shri Sezhiyan was there in the meeting. The Education Minister is having some difficulty. As the House knows, this matter was discussed last week. Three hours are still left at the disposal of the House. Therefore, it was decided by the Speaker that this little change should be accommodated.

DISCUSSION RE. LAW AND ORDER SITUATION IN DELHI—contd.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम खूब समझे हैं। जरा सी बात का इन्होंने अफसाना बना दिया है। ख़ाम खाह राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। असल चीज यह है कि इनको ला एंड आर्डर चाहिये, इनको ला एंड आर्डर का महकमा चाहिये। ये हलवा चाहते हैं। इनका मंशा यह है कि गिव दी डाय ए बैड नेम एंड किल इट। ख़ाम ख़ाह ये पुलिस को इसका शिकार बना रहे हैं। हमारे कंवर लाल गुप्त जी वकील हैं। मैं समझता हूँ कि

[श्री रणधीर सिंह]

ही हैज मेड आउट ए फाल्स केस। सैयाद के फंसे से यह खूद ही फंस गए हैं।

दिल्ली की पुलिस का इन्होंने मुकाबला कलकत्ता की पुलिस से, मद्रास की पुलिस से किया है। मैं उनकी कहना चाहता हूँ कि अगर उनको मुकाबला ही करना है तो उनको मुकाबला करना चाहिये था न्यूयार्क से, लंदन से, बर्लिन से, मास्को से। उन शहरों से इनकी इन क्राइम्ज के बारे में मुकाबला करना चाहिये और बताना चाहिये था कि वहाँ क्राइम्ज का इंसिडेंस क्या है। मेरे दोस्त ने एक मजेदार बात कह दी कि दिल्ली की पुलिस—

एक माननीय सदस्य : हरियाणा से अच्छी है।

श्री रणधीर सिंह : यह ठीक है। हरियाणा से अच्छी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सैट अप में अगर कहीं पर कुरप्शन कम हुआ है तो वह पुलिस डिपार्टमेंट में ही हुआ है। इस लंका में सभी 52 गज के हैं। तमाम महकमों में दुनिया भर का कुरप्शन है अगर कुरप्शन कम हुआ है तो पुलिस के महकमे में ही हुआ है। रिआर्गेनाइजेशन होने के बाद अब पुलिस किस-किस के घर जाये। यहाँ तो भले आदमी बैठे हुये हैं। लेकिन दुनिया भर के बदमाश, गुंडे बाहर हैं। इतने गुंडों को दस पंद्रह हजार पुलिस के सिपाही कैसे ठीक करें। इनसे जितना कुछ हो रहा है ये कर रहे हैं। मैं इनको शाबाश देता हूँ। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करें मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर डाग सैकशन पूरा काम करता है। फिंगर प्रिंट सैकशन पूरा काम कर रहा है। माडर्न कम्युनिकेशन पूरा काम कर रहा है। फोरेजिकल लैबोरेटरी पूरा काम करती है। ट्रेनिंग जा कर ये फिलीर में लेते हैं। वहाँ की ट्रेनिंग के बाद इन आदमियों को आठ महीने तक रगड़ा चढ़ाया जाता है। इन के लिए गालियों का कोर्स है, पीटने का कोर्स है, हर बात का कोर्स है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की

पुलिस दुनिया में मशहूर पुलिस है। अगर मेरे दोस्त दिल्ली की पुलिस की तोहीन करते हैं, तो वे पंजाब की पुलिस की तोहीन करते हैं।

18 Hrs.

[SHRI G. S. DHILLON in the Chair]

मिनिस्टर साहब से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टीगेशन के साइंफिटिक मैथड्ज को एडाप्ट किया जाये। आनरेबल मेम्बर ने यह बात सही कही है कि यहाँ की पुलिस फोर्स में व्हीकल्ज की कुछ कमी है। इस लिए और पैसा खर्च कर के पुलिस को और व्हीकल्ज देने का इन्तजाम किया जाये।

मैं समझता हूँ कि इन लोगों का रोना वह है कि इन को यहाँ की ला एंड आर्डर वाली कुर्सी चाहिए। मैं सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कोई आसमाम टूटा नहीं है, जमीन फटी नहीं है, तो फिर यहाँ पर दिल्ली के ला एंड आर्डर के बारे में डिस्कशन कैसे आ गया। सो श्री मधोक ने बता दिया है कि उन को ला एंड आर्डर का महकमा चाहिए। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की पुलिस में आन्दोलन से पहले कुछ खराबियां रही होंगी, लेकिन उस के बाद वह एक निहायत शानदार पुलिस फोर्स हो गई है। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि सिपाही कई दफा बाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं और सोने नहीं देते हैं। वे ओवर-मेट्रोपॉलिटन करते हैं, जो कि एक तरह से न्यूसेंस बन गई है। इस लिए एम० पीज० के यहाँ से पेट्रोपॉलिटन को हटा लिया जाये और शहर के दूसरे हिस्सों में कर दिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा पायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि पुलिस वाले रात भर उन को सोने नहीं देते हैं और कई दफा उन का दरवाजा खटखटाते हैं; आप जानते हैं कि ऐसा उन्हीं के साथ होता है, जिन का कोई नम्बर हो और ऐसे आदमी इस हाउस में नहीं आ सकते हैं। आप इस बारे में अपनी रूनिंग दीजिये।

MR. CHAIRMAN : I think, the hon. Member might be mistaken for somebody else by the police.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Mr. Chairman, the problems which we are discussing today are of the essence for any long-term view we may take of our capital city. I should suggest at the outset that the Delhi Police constitute by and large a fine body of youngmen recruited from an area which is known for its valour and for its sense of honesty, but the hon. Minister must address himself to this problem as to why it is that such fine human material that they have in the police force does not have a good reputation. The people of Delhi do not have confidence in this police force.

Moreover, which I think is really damning, the Government servants living in New Delhi, people who are employed and housed by this Government, whose landlord is this Government, feel most insecure. Therefore we must address ourselves to the problem of the system. What is wrong with the system is what requires rethinking. Gandhiji had told us that we would go towards Hind swaraj, that we would meet the evils of capitalism and Western influence. We see instead that we are going the whole hog for urbanisation and that also the Western system at its worst. That encourages crime, juvenile delinquency and, what is most dangerous, institutionalised criminal enterprise.

Therefore the hon. Minister must address himself to this problem. What will happen to the Delhi of today is not so important as of the future, of the Delhi of tomorrow and the day after. I shudder to think what the consequences will be of the present system. We will have here gambling dens, vice and an underworld which will far excell all other countries of the world.

Therefore I suggest that it is on the broad principles that the House must concern itself with. I feel that the crimes are under-reported. We do not have central reporting of crimes. Here may I suggest to the hon. Minister that there should be one telephone

number or one place where all crimes can be reported so that at least the crime statistics are correct.

Further, there is the problem of those who come to Delhi. Many of them are newcomers, specially in the New Delhi area; they come on transfer. They come to these colonies like Laxmibai Nagar, Kidwai Nagar. What do they find ? They find lack of safety measures. For Government servants' houses there are low walls without any fencing and people can climb over them. There is no community sense, if a robbery is committed next door, nobody know whether to interfere or not because there is no community sense. Further, there is no police protection. I feel that if it is very unfair to the people who live there to treat this lightly. There are mothers, there are sisters and daughters, who feel insecure. Why should this happen ? This House must address itself to this problem. There are people employed in this House who feel insecure.

Again, there is inadequate lighting; it seems that lighting arrangements are only made in certain posh localities. Lighting is no longer a luxury; it is a safety device, it is a security device. Therefore, I should suggest that, as far as politics are concerned, I am making a very serious point, I am not making an accusation on the Congress side, but I suggest that in a capital city, sometimes a political machine comes into being—that political machine which happened in Chicago and other places. The Jan Sangh came to power only yesterday. There is here already existing a political machine which, irrespective of party interests, we must try to dissociate from crime; it must be reformed. It is in the best interests of Congress that the Congress Party should function here not in association with crime but as a national organisation, with which we would like to deal. Therefore, I would suggest, above all, the need to create public confidence. You have very good policemen—these young men recruited from Outer Delhi, Haryana region and so on; they are some of the finest people. Create in them a sense of confidence. Dress them in a uniform which is appropriate to India; the present uniform is the replica of the Union Jack; it is a shame; we make a caricature, we make circus clowns of our policemen.

[Shri M. L. Sondhi]

Let them be dressed in good woollen clothes. Let them look respectable. Give them all opportunities of leisure and good, creative leisure, and then also tell the police officers to look after these men properly and with all that confidence which should be in a police force; if there are any recalcitrant police officers, give them deterrent punishments, no matter how high they may be. It is because this thing happens. We know, protection money is paid to the police. Very often I am told that in this area if you pay so much to the police, they will overlook what you are doing. These are matters which we must examine, and this is going to happen much more in future. Therefore, let us get together and safeguard our Capital city from the dangers which threaten it today and in the future.

MR. CHAIRMAN : He may please conclude.

SHRI M. L. SONDHI : One more point and I will resume my seat.

What about our younger generation ? We find here a blind imitation of the West; we find here these horror comics which are read; we find these here in public schools; although they teach Shakespeare and so on, the type of climate which they engender in them is one of violence, and violence in sexual offences, Hitchcock and the rest of it. The Legislature of New York set up a Special Committee to deal with this problem because there, it existed on a big scale—President Kennedy was murdered and so on. We do not know how much there is which is on the wrong side of American life. We do not want that here, even if they are giving us foodgrains under PL 480 and all that. We want to maintain an Indian way of Life in which our values count. Therefore, I should suggest that we go into this in detail. Perhaps a Commission can be appointed. Let us analyse this. What is the educational influence on our own children here who are growing up ? Are they playing the game of becoming murderers and dacoits or are they thinking of the great heroes of Indian renaissance ? Do they dream of the coming Netajis, do they dream of the coming Bhimas and Arjunas and Shivajis or do they dream of the coming dacoits

and gangsters after the Chicago style ? We want America to come here in the person of Lincoln, in the person of Jefferson and so on, but we do not want an America which is associated with Al Capone and those Chicago gangsters.

It is for the hon. Minister to give us an assurance that, as far as Delhi problems are concerned, the insecurity felt by the women and children will end and that in New Delhi the police will be given good uniform, training and a certain prestige which will make Delhi a safe place, a Heaven.

Finally, I would like to say this. Sometimes a little bit of scapegoating takes place. In certain areas, people come from the South to seek domestic service and some times the police forms the idea—I complained about it to the hon. Minister and somebody says that he must have been a South Indian. This is how Shiv Sena is born. Let that not happen. Treat every man as innocent till he is proved to be guilty. About the people coming from West Bengal and from South India, I can say that they are some of the best citizens of Delhi. Therefore, it is not a question of a particular caste or group or a particular area.

I would like to make one more point and that is about this section 144. As a matter of fact, I crave your protection on this. I happen to be elected from this Constituency where section 144 is perpetually in force.

Sir, I do not know whether I am supposed to organize a public meeting inside Parliament or outside. All these things are to be taken together.

Let us look upon the Police problems not in terms of Congress vs. Jan Sangh. Let us look upon them in terms of the dignity of our motherland, in terms of the dignity of our capital city, let it be a place where we can tell the world 'This is a place where like Ayodhya nobody has a lock on his door and People are free' and this will be the Ram Rajya which the Congress once dreamt of.

श्री राम स्वर्ण विद्यार्थी (करोल बाग) : श्रीमन्, अभी ला एंड आर्डर के बाबत कई बातें हाउस में कही गईं। एक बात की तरफ में बास तौर से होम मिनिस्टर का ध्यान दिलाना

चाहता हूँ कि पिछले तीन साल के अन्दर दिल्ली में इन्वेस्टीगेशन एजेंसी जो है, जो लोग तफ्तीश करते हैं, उसमें उन लोगों को जो ईमानदार थे, उनको क्राइम में भेज दिया गया या विजिलेंस में भेज दिया गया और उनको तफ्तीश में नहीं रखा और आज मुझे हैरानी है, दिल्ली के जितने पुलिस स्टेशन हैं उनमें 60 परसेंट में वह लोग हैं जिनको इन्वेस्टीगेशन का कोई तजुर्बा नहीं। इसका नतीजा होता है कि जितने केस दिल्ली में रजिस्टर होते हैं, अब्बल तो रजिस्टर करते नहीं ऐसा माहौल बन रहा है, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप तो घोंटी बांधते हैं और कृता पहनते हैं, कभी समय निकाल कर वहां जाइए और एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए तो आप को पता लगेगा कि किस प्रकार रिपोर्ट दर्ज होती है। चोरी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। यह तो 26 हजार का जो जिक्र किया है यह तो बहुत कम है। मुझे पता है रोजाना हजारों की तादाद में केसेज होते हैं। पुलिस के अन्दर लोग जाते हैं। लेकिन रिपोर्ट रजिस्टर नहीं होती है। आई०जी० महोदय से कई दफा लोगों की बात कही जाती है लेकिन उनके पास या तो समय नहीं या वह समझते हैं कि पब्लिक की बातें सुननी नहीं है। पोलिटिकल इंटरफियरेंस का यहां जिक्र आया था। मुझे मालूम है कि यहां पोलिटिकल पार्टीज ऐसी रही हैं, ऐसे दल हैं कि जिनके बीडर्स ने 10 नम्बर के गुंडों की गवाही दी है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनसंघ अब से आया है तब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने गुंडों की परवरिश की हो। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन ने यहां की जो हालत है, उसकी अवहेलना की है। आई०जी० को बीसों चिट्ठियां लिखो एक का भी जवाब नहीं आता है। अगर मंत्री को लिखा जाय, चप्हाण साहब को लिखा जाय तो कम से कम ऐकना-सेजमेंट तो आता है, लेकिन आई०जी० परवाह ही नहीं करते। इस ढंग से दिल्ली का इन्तजाम चल रहा है। यहां असन्तोष है दिल्ली पुलिस के अन्दर। उनके प्रोमोशन जो होते हैं वह ढंग से नहीं होते। ईमानदार आदमी के

लिए कोई गुंजाइश नहीं पुलिस के अंदर। जो आदमी बदमाश है, पैसे दे सकता है, लड़कियां-सप्लाई करता है उसको प्रोमोशन कल मिल सकता है। लेकिन ईमानदार आदमी के लिए या तो पेंशन है या फिर किसी तरह उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। यह वास्तविकता है। अगर उदाहरण चाहें तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से चैयरमैन साहब ने समय बहुत कम दिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आप से कि आप इस पुलिस को एक अच्छे ढंग पर लाने की कोशिश करें। यहां प्रोमोशन इन्सानियत से, नेकनीयती से हो, ईमानदारी से हो। मुझे पता है पिछले साल मई या जून की बात है 66 की। एक पुलिस सब-इंसपेक्टर ने सक्की मंडी में किसी डाकू को पकड़ा। अगर वह बदमाश आदमी होता तो फौरन प्रोमोशन मिल जाता। लेकिन उसके लिए कोई परवाह नहीं। एक पुलिस इंसपेक्टर ने किसी भले आदमी से कह दिया कि यह लंडकी जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो। वहां पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी आते थे और बदमाशी के लिए आते थे। उस आदमी को सस्पेंड कर दिया गया। कोई एन्वयन्सरी नहीं हुई। एकदम सस्पेंड कर दिया गया और जिस वक्त री-इंस्टेट करना पड़ा तो झूठी गवाही उसके खिलाफ बनाने की कोशिश की। लेकिन वह मामला झूठा था इसलिए नहीं चल सका। मैं यह नहीं कहता कि केवल नीचे के लोग ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऊपर के जितने अधिकारी हैं आई०जी० से ले कर नीचे तक उन सबके अन्दर यह चीज है। हरएक की लिफ बनी हुई है। हरएक का कमीशन है। अगर एक केस के अन्दर आप पुलिस में जाइए तो करोड़ बाग में 25 हजार रुपये लगता है। इसी तरह से कमला मार्केट के अंदर यही हाल है। जो रेस्पेक्टबल सोसाइटी एसोशिएटेड है पुलिस स्टेशन से उसमें वह लोग जो 10 नम्बरी बदमाश हैं या गन्दा काम करते हैं वह लोग उसके अन्दर शामिल किए जाते हैं। और किसी आदमी को नहीं लिया जाता है और

[श्री राम स्वल्प विचारों]

बदकिस्मती से कोई आ भी जाता है और मुखालिफत करता है तो उसको फिर इन्टीमेंट ही नहीं किया जाता है। इसलिए यह ऐसी गन्दी स्थिति है, इसका अगर अभी कोई इलाज नहीं किया गया तो आगे जा कर बहुत ज्यादा खराबी होगी और दिल्ली के अन्दर जनता नहीं रहेगी बल्कि और ही एक ढंग की हुकूमत बनेगी।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : चेयरमैन साहब, यहां दिल्ली पुलिस के बारे में जो अभी बहस हो रही है उस से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। एक बात है यहां। मैं तो इस देश में भी घूमा और बाहर भी घूमा लेकिन यहां एक तरह से बेकानूनी चीजें बहुत होती हैं। अब उस में पुलिस का दोष कितना है और दूसरे का कितना है वह देखना होगा। जहां तक मेरा ख्याल है एम०पी० के क्वार्टर्स में भी चोरियां होती हैं और उसका पता नहीं लगता। मेरे पड़ोस में ही परसों 3 हजार रुपये का माल चला गया मेरे बिलकुल पड़ोस के क्वार्टर से। बात ऐसी है कि उसका फिर तलाश नहीं हो पाता। मैं यहां पहले आया था तब एम०पी० नहीं था एक दफे, एक के घर में टहरा तो मेरे ही 50 रुपये उसी घर से चले गए। पुलिस को कहा तो उस की रिपोर्ट भी नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ। अभी-अभी एक यह छोटी बात है, हम रेल स्टेशन पर आते हैं, कभी स्कूटर या टैक्सी मांगते हैं तो पहले पूछा जाता है कि कहाँ जाना है, हम ने न कहा तो वह टैक्सी या स्कूटर नहीं देते हैं। मैंने कई दफे पुलिस में अज्ञ किया, लिख कर दिया लेकिन उस का कोई पता नहीं चला। पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस किसी पर कोई ऐक्शन ले तो पोलिटिकल पार्टी वाले दूसरे किसी दूसरे की गवाही दे कर कहते हैं यह तो अच्छा आदमी है, उस के साथ तुमने ऐसा किया, तो हमारी सविस्तर पर आकर पड़ता है। एक पोलिटिकल पार्टी वाले ऐसा नहीं करते, बल्कि जितना पोलिटिकल पार्टी है सब अपने अपने आदमियों के लिए दबाव

डालती हैं। और उसका असर यह होता है कि मिनिस्टर के पास जायें या किसी अफसर के पास जायें तो वह कहते हैं कि यह कोई एम०पी० है, एम०एल०ए० है, या कौंसिलर है, इस की न सुनो तो अपने को तकलीफ होगी। इसलिए उसकी बात सुनते हैं। तो यह अवस्था देश में है। यह समझ लेना चाहिये हम लोगों को कभी फ्री पुलिस के पास पावर हो जाये, उनको नजर आ जाय, वह ऐक्शन ले लें, हम उस में दखल न दें तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन यह अवस्था है नहीं देश में। जैसे यहां दिल्ली में है, बाहर तो देखते हैं इससे भी ज्यादा है। छोटे छोटे पोलिटिकल वर्कर किसी पार्टी के भी हों डी०एस०पी० के पास, असिस्टेंट डी०एस०पी० के पास जाते हैं और कहते हैं कि इसको छोड़ दो। उस को न मानें तो उस के ऊपर आफत आती है। तो यह भी एक अनुभव है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का यह एक बालपन है। उसमें दिक्कत आ जाती है। एक पालिटिकल पार्टी बढ़ती है, रेवोल्यूशन होता है। उसमें पुलिस को भी दिक्कत होती है न सुनो तो।

दूसरी बात कहते हैं कि अंग्रेज के राज में चोरी जब तलाश करते थे तो मारपीट करते थे। मैंने आंखों से देखा है। अब इस वक्त तो मारपीट करने का कोई रिवाज नहीं। मेरे जिले में तो ऐसा हुआ कि एक चोर को ढूँढ़ने के लिए गांववालों को बुलाया और नमस्कार करके पुलिस ने पूछा कि किस ने चोरी की है कृपा कर के हम से कहें। तो लोगों ने पूछा कि इस रीति से कैसे होगा। तो उस ने कहा कि हम पारपीट करें तो हमारी सविस्तर जायगी। ऐसी अवस्था हमारे देश में है। तो गवर्नमेंट का काम है पब्लिक को भी समझाये, पुलिस को भी समझाये। और जितने हमारे सोशल वर्कर हैं उन को भी चाहिये कि कहीं ऐसी स्थिति हो जिसमें अपना आदमी फंसता हो तो उस को हम प्राटेक्शन न दें। यह जब तक नहीं होता तब तक पुलिस भी काम नहीं करेगी। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा यह कहना है कि पुलिस को

वह समझायें और हमारा भी काम है कि पुलिस को हम उस के काम में मदद करें, हमारा कोई आदमी चोरी में पकड़ा जाय तो हम उसको प्रोटेक्शन न दें। यह जब तक देश में नहीं होता है तब तक यह सुधार होगा नहीं, ऐसी मेरी राय है।

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : I think the civic health of a city, especially a metropolitan city, can be judged by four criteria. First, how many agitations have taken place in that city and who are responsible for those agitations? It is these agitations which give people a sense of insecurity.

SHRI ONKAR LAL BERWA : Congress.

SHRI D. C. SHARMA : Secondly, one has to see how far the political parties interfere with the working of the police or other administrative departments. You can find out which political party interferes. Thirdly, there is the behaviour of the guardians of law and order. I divide these guardians into two classes, the magistracy and the police. Unfortunately in this city of Delhi, the magistrate comes from one State, the man above him comes from another State and the man above him comes from a third State. There is no integration of services in this city. Of course, I do not want that this should not happen. But unfortunately, they are all migratory birds. If they do not like this place, they go back; they have no stake in Delhi. The guardians of law and order from the Lt. Governor down to the magistrate do not have any stake so far as the city of Delhi is concerned. They come and go; they come when they like and go when they like. I want that they should have some stake here.

Then take the case of the police. I think the police have not been looked after properly in the city of Delhi. There is no doubt about it. I do not know from where they have come. You see that if a Minister comes from one State, the Chief Secretary also is from that State. I am not talking only of Delhi. I must say that the policemen have been behaving very well. They have the flying squad. I have made use of

their service sometime. They have other things.

AN HON. MEMBER : Patrolling.

SHRI D. C. SHARMA : There is no patrolling. You must make the man worthy of his hire. The policeman is not treated as well as he should be.

The fourth point

SHRI ONKAR LAL BERWA : Fourth ?

SHRI D. C. SHARMA : Shri Berwa has been a contractor. He must know that the form of contract contains many points.

The Home Ministry does not have a regularly constituted, well-organised, well-manned

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Well-regulated.

SHRI D. C. SHARMA : All right, well-regulated—Shri Kanwar Lal Gupta is on the way out; I have some sympathy for him.

As I was saying the Home Ministry does not have such a body to deal with the problems of Delhi. I agree with Shri Sondhi that if we want to make Delhi not a duplicate of Chicago or New York or Washington, we must try to give Delhi a kind of good civic health. That can be done if you have some centres where the values of our Indian culture are explained to people. . . . As soon as you ring the bell, I sit down.

MR. CHAIRMAN : I have already rung the bell.

SHRI D. C. SHARMA : These values have to be taught to people, whether they are school-boys, College students, university students, shopkeepers, MPs

AN HON. MEMBER : Professors.

SHRI D. C. SHARMA : For members of the Metropolitan Council. Then I think the problem of law and order will be solved to the extent of 80 per cent.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : I am

[Shri Vidya Charan Shukla]

very thankful to Shri Kanwar Lal Gupta for raising this useful discussion in the House. Many valuable suggestions have been made by many members who took part in this debate. There is no doubt that we shall give very serious attention to them. But it is my regret that so many uninformed and regrettable criticisms have also been made about the Delhi police without trying to understand the problems which are faced by the police force of this metropolitan city.

Mr. Gupta prefaced his speech by saying that figures might speak otherwise, but the feeling of the citizens is that crime is increasing. I do not know whether this is the feeling of the citizens, but definitely some people are saying these things, and I do not think they are very well informed. May be the newspaper reports and the normal human tendency to only notice lapses, ignoring the achievements, can account for this kind of feeling, but still if you see the population rise in this city of ours and also see the graph of crime, you will see that there has been no rise in crime in the city.

The scientific and rational way of looking at the incidence of crime is to see whether the total volume of crime as related to per lakh of the population in the city has been increasing or has been going down. This would be a real indication whether the Delhi police has been doing its job properly.

I do not want to burden this House and hon. Members at this part of the evening with all kinds of figures that I have which will be tell-taling, but still I want to give one or two tables which will be useful to the members. This motion relates to the last three years, so I would confine my figures to three years.

About heinous crimes, dacoity cases in 1965 were 10, there were no dacoity cases in 1967. Murder cases in 1965 were 64, in 1967 they are only 58. Attempt to murder were 68 in 1965, and 52 in 1967. Robbery cases were 44 in 1965 and 36 in 1967. Rioting cases, of course, have increased from 57 in 1965 to 81 in 1967. About this rioting I need not go into the reasons, they are quite

obvious, the election year and many other things contributed to it.

As far as non-heinous crimes are concerned, again the figures are telling. Regarding kidnapping and abduction, in 1965 the cases reported were 244, and in 1967 they are 227. In burglary cases, in 1965 there were 1,333 in 1967 they are 1,106. Theft cases have increased a little from 8,473 in 1965 to 8,577 in 1967. In miscellaneous IPC cases—they are stray cases here and there which do not come under these major heads—a slight rise is registered from 3871 to 4,358 but on the local and state laws, the crime has again gone down from 6,251 to 5,261. Thus, as far as the total figures are concerned, as I was saying, if you relate the crime figures for our city.....

श्री कंबर लाल गुप्ता : क्या यह बात ठीक नहीं है कि दूसरे शहरों की निस्वत सब से ज्यादा क्राइम्ज, किडनैपिंग के केसेज, थैपटज के केसेज दिल्ली में होते हैं ?

श्री रणधीर सिंह : यह मेट्रोपोलिटन शहर है, ऐसा क्या हो गया है ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I do not have the figures ready with me for the other cities of the country, but I can say that they should not be more than other cities.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : They are.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I can go into it, but I can say from memory that they could not be more than the number of reported cases from Bombay and Calcutta. In any case I shall check it up, but I can say that they could not be more than what they are in other States.

About the rate of crime per lakh of population, I took out some figures. In 1964, the rate of crime per lakh of population in the city was 670.2. In 1966, it was only 655.7. This is the rate per lakh of population, in our city.

Now, having done with the statistics, I would turn to a few general points that

the hon. Members raised here. Something was said about the Police Commission and its report. We have answered questions in this hon. House and have indicated the steps that we have taken in pursuance of the Police Commission's report, about police housing, about increasing their working facilities, about giving them more and more automobiles, increasing their mobility, giving them better equipment. We have given the details of it in this House. But one point I want to make on this is that as soon as the decisions of the Government on the Police Commission's report—the interim report—were announced, they were very widely welcomed by the members of the Delhi Police Force. They had very widely welcomed it and they have liked the kind of equipment that we have given and I am sure that with this improvement that we have brought about and we want to bring about, the efficiency of the police will further increase.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why did you not accept this report *in toto*? Are you afraid to do it?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: There is no question of being afraid. We have to exercise our judgment and the optimum benefit will have to be decided.

AN HON. MEMBER: It is a commission's report.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : But Commissions, as hon. Members know, are advisory, and they do not decide matters for the elected governments.

Now, Shri Kanwar Lal Gupta made some valuable suggestions regarding modernization of the police force, forensic science laboratory and training school, etc. The training school, as has been stated, is already there. About the other two things, we are taking steps to meet these two demands of the police.

श्री कंवर लाल गुप्त : इनको पता नहीं है कि यहां के दो अफसर एक साल में हैदराबाद खास ट्रेनिंग के लिये जाते हैं। ये श्री रणधीर सिंह जी के कहने में आ गये हैं। आप तो मिनिस्टर हैं। आप तो ऐसी बात न कहें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Prof. D. C. Sharma, while speaking, did point out some pertinent facts about the peculiar situation that exists in the city of Delhi. He pointed towards the absence of a unified cadre here. This did in a way affect the working of the police until recently. We had to get officers from various parts of the country, from Haryana, from Uttar Pradesh, from Punjab, from Rajasthan and various other parts, and these police officers did not have any stake here in the local police cadre; they came here on deputation and as soon as the deputation period was over they went back, and although they did their best, still, the kind of work that the local cadre persons or officers can do could not be done by these people who were only working in a temporary capacity here. Now, steps have been taken to constitute a cadre here, and very soon we shall have a fully integrated Delhi Police Force which will work here throughout, and this deficiency that we have been feeling will be removed.

SHRI S.M. BANERJEE : Will you say something about the withdrawal of cases—against policemen? They have suffered enough. Make a generous offer; take them back to the police force.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Hon. members will agree that this problem has to be looked upon from the viewpoint of the discipline and the future of the police force and not from the viewpoint of mercy and leniency. That should be the attitude of hon. members. For the police force, these are the foremost things. If mercy leniency can be shown without compromising on discipline or the future of the police force, that can be considered. But this cannot be done at the cost of discipline and future of the police force. That is why the proceedings according to law are going on.

Shri Shashi Bhooshan and several other members raised some individual matters about which I am not able to say anything now.

SHRI BAL RAJ MADHOK: I suggested that there should be some regular machinery set up which can discuss the law and order problem etc. Is he prepared to constitute such a machinery where the

[Shri Bal Raj Madhok]

Home Ministry and local members can meet and discuss it regularly ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Delhi police does need good public relations and we have to improve the public relations with the police a great deal. Although good work is done by the police by and large, the things that come to public notice are the lapses. That is why the I.G. of Delhi and SPs in charge of various districts have been holding meetings with prominent citizens of the locality. The DIGs also go to the meetings and they try to keep contact with them. About Members of Parliament, I think a suggestion was made to the Home Minister that the members would like to meet him and discuss. There would be no objection from our side to meet the elected representatives of Delhi and find out from time to time in what way we can improve things.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I know that we can approach the Home Minister always and he will give us time to meet him. But I wanted a regular machinery to be set up to discuss it regularly.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : There are going to be some arrangements. The IG and other senior police officers can meet the affected people. Politicians can meet politicians and these matters can be discussed at a higher level. I do not think we should mix up the two. That will not be conducive to better police management.

There are many other points and suggestions that were made. Some allegations have also been made. I would say that there might be some people who might be trying to tamper with the police administration, but they are not getting any encouragement. I am sure responsible political parties of the Union Territory are also not encouraging them. If there are any cases of political interference, we would definitely like to root them out and make arrangements so that nobody can politically influence the police force in the Union Territory.

Mr. Sondhi, who has been elected from New Delhi, also made some very valuable suggestions. He flew to great heights while

describing what should be done about the education of our children and things like that. The main thing is, we should always tell not only the people of Delhi but also other responsible people whom we keep on meeting that while they try to look at the work of the Delhi police, they should try to look at it from an unbiased viewpoint. Otherwise, it is a very common and popular thing to decry the police administration about their lapses, which are of course there. I would not say there are no lapses, but the good work done by the police should also be taken into consideration.

श्री कंबर लाल गुप्ता : यहां पर मंत्री महोदय को या किसी और को डिक्लैर करके का सवाल नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह शहर में आकर देखें और लोगों से पूछें। इससे उनको वास्तविक स्थिति का पता लगेगा। वह शहर में जाकर लोगों को पूछें तो सही।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am not making allegations against the hon. Member. I am only saying that better understanding of the public representatives and the public in general is required.

श्री स० भो० बनर्जी : मंत्री महोदय हफ्ते में एक दिन भेस बदल कर शहर में घूमें।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I can very confidently say, and I hope hon. Members will agree, that with the prevailing situation and the kind of peculiar conditions prevailing in the capital city of India, the Delhi Police has been doing a good job, by and large, and there is no doubt in my mind that they will become better in future when we give them all modern facilities that we are in the process of giving and with better understanding and co-operation from hon. Members.

18. 42 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, December 6, 1967/Agrahayana 15, 1889 (Saka).

-: 0 :-